



बिहार सरकार  
पर्यावरण एवं वन विभाग

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन सम्बन्धी आवश्यक सूचना

केन्द्र एवं राज्य सरकार की सभी प्रयोक्ता एजेंसियों/विभागों तथा पर्यावरण एवं वन विभागीय पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन के प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाईट ([www.forest.bih.nic.in](http://www.forest.bih.nic.in)) में लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिससे विभिन्न Stage – II प्राप्त प्रस्ताव, Stage – I प्राप्त प्रस्ताव तथा लंबित प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इसके अलावा विभागीय वेबसाईट पर उद्योग विभाग से संबंधित Ease of Doing Business के लिए वृक्ष पातन/परिवहन/वन भूमि उपयोग के लिए दिशानिर्देश भी उपलब्ध है।

किसी भी प्रयोक्ता एजेंसी/विभाग के द्वारा विभागीय वेबसाईट से तत्संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा कोई जानकारी/शिकायत हेतु ई-मेल [info.apccfcampa.bih@gmail.com](mailto:info.apccfcampa.bih@gmail.com) पर सूचना दी जा सकती है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।  
अरण्य भवन, राईडिंग रोड, पटना

SIZE 8X3=120 SQ CM  
DOP-24.11.2017  
RO NO-9669 DT-23.11.2017  
HINDUSTAN, ALL BIHAR  
PRABHAT KHABAR, PATNA+MUZ+BHAGALPUR  
DAINIK BHASKAR, PATNA  
QT, PATNA